भारतीय राजव्यवस्था और संविधान

संविधान (Constitution) एक लेटिन शब्द है। जो "Ontiture" से लिया गया है। जिसका अर्थ है स्थापित करना था लागू करना है। परन्तु वर्तमान में संविधान का अर्थ संगठनों की निर्दिष्ट करना एवं सरकार के कार्यो को निर्दिष्ट करना।

- संविधान अक्ति एवं सरकार के बीच समन्ध स्थापित करता है।
- इसे विभिन्न लोगों ने देश का कानून" कहा है। (Fundamental Law of the Land I
- ये मौलिक क्यों है?
  - ✓ नियम – संविधान के अनुसार है। इन्हे संविधान के विरुद्ध नहीं बताया जा सकता है।
  - ✓ Constitution – राज्य की मनमानी कार्यवाही को नियंत्रित करता है।
  - ✓ संविधानवाद की प्राप्ति की जाति है।
  - ✓ संविधान को राज्य को सर्वोच्च कानून कहा जाता है।

"Gilchris" के अनुसार संविधान नियमो का ऐसा समूह है जो सरकारी संगठनों को निधारित करता है। एवं सरकार के अंगो के बीच शक्तियों का बटवांरा करता है।

K.C. where सांविधान देश के सभी के अनुसार सा सरकारी तंत्रो को परिभाषित करता है।

संविधानवाद :

राज्य की मनमानी कार्यवाहियो की अनुपस्थिति
↓
नियम आधारित समाज
↓
नियम साधारित कानून
↓
सीमित सरकार

संविधान वाद को सुनिश्चित करने के लिये अलग- अलग-देश अलग अलग विधियों का प्रयोग करते हैं।

Note – संविधानवाद संविधान से ज्यादा थापक अवधारणा है।

❖ संविधानवादी प्रजातंत्र :

50%+1 सरकार (कार्यपालिका)

बहुमत की सत्ता

→ विधि
→ विशेष संस्था द्वारा सीमित

Ex: महिला आयोग NCW

संविधानवाद के कार्य :

1) यह देश के मौलिक कानून को स्थापित करता है। एवं समाज में समन्वय स्थापित करने के लिये प्रमास करता है।
2) यह सरकार के प्रकार एवं इसके निर्माण प्रक्रिया प्रदान करता है।

सरकार के प्रकार	प्रक्रिया
➢ लोकतान्त्रिक	चुनाव (प्रत्यक्ष या अपास)
➢ गणतंत्र	First Pers the post Low
➢ सम्प्रभु	समानुपातिक प्रतिनिधित्व एकल सकमन प्रणाली मत
➢ समाजवादी	

3) संविधान सरकार की शक्तियों को सीमित करता है।
4) संविधान सरकार को लीड कल्यान करने के लिये लक्ष्म प्रदान करती है।
5) संविधान अक्ति की मूल पहचान प्रदान करता है।

❖ समानुपातिक न्यायम् समाज में न्याय स्थापित करने के लिये समान व्यवहार करने का सिद्धान्त Principal Of Equod Tritment मुखन, लागू किया जाता है। वस्तु कमी- कभी यह समानुपानिए न्याम द्वारा सन्तुलित करने की मांग करता है। ऐतिहासिक समाज में समाज के कई वर्ग विकसित हो गये परन्तु एक बहुत बड़ा वर्ग पिछड़ा रह गया। सब यरि समान व्यवहार का सिद्धान्त लागू किया जाता है। तो पिछड़ा वर्ग पिछड़ा ही रह जाता है। जबकि विकसित को और विकसित हो जाता है। यह प्रक्रिया अचित्र पुरस्कार योग्यता (Due Reward Merit] के विचार से कमजोर करता है।

Nation, State, Territory राष्ट्र/राज्य/राज्य क्षेत्र

❖ **Nation (राष्ट्र) :**

➢ राष्ट्र ऐसी सकल्पना है। जो एकता एवं समानता को समेकित करती है। जिसमें वर्ण, धर्मः साँस्कृति भाषा सादि शामिल है।
➢ यह मानसिक निर्माण है।
➢ निश्चित क्षेत्र की सीमा हो सकती है, और नहीं भी।

❖ **State** (राज्य) :

➢ भूमि
➢ जनसम्था
➢ कानून (विधि (सरकार)
➢ सम्प्रभुता

राज्य इतना शक्ति शाली है गया है कि लोगों ने अपनी स्वतंत्रता राज्य को समर्पित कर दी है।

हमारे देश के सभी कानून देशज हो व वाहरी शक्तियों से प्रभावित नहीं होता ।

Note –

1. भक्ति अपनी व्वतंत्रता का बाग राज्य के द्वारा बनाये गये कानूनों को सही ढंग से लागू करने के लिये त्याग देता है। जिससे लोरकल्याण सनिश्चित हो ।
2. राज्य अपने नागरिको के लगभग सभी पहलुओं को प्रभावित करता है।

राज्य क्षेत्र : जहां तक किसी देश की राजनैतिक व भौगोलिक सीमा हो और जहां तक उस देश के कानून लागू हो उसे राज्यक्षेत्र कहा जाता है।

सीमायें

- **भौगोलिक** सीमा
  - हवा
  - जल
  - भूमि
- **राजनैतिक सीमा**

❖ **शक्ति प्रथकरण का सिद्धांत व नियंत्रण व सन्तुलन का सिद्धांत :**

राजशाही तंत्र
↓
राजतंत्र
↓
राजा / रानी
- L
- E
- J

सरकार के अंग

विधायिका	**कार्यपालिका**	**न्यायपालिका**
कानून निर्माण	कानून लागू करना	न्याय स्थापित करना

❖ 1748 - Borron de montesque :

1) **किसी भी अंग का कोई भी** सदस्य, **अन्य** अंग **का** सदस्य **नहीं बन सकता है।**

2) **किसी भी अंग की कोई भी भूमिका अन्य अंग ग्रहण नही कर सकती।**

3) **कोई भी अंग किसी भी** अंग **के निर्णय को प्रभावित नहीं कर सकता।**

❖ USA

article - 8

Article - 1 : Legislative (विधायिका)→ US Congress
- Senate Upper House
- Lower House - House of Person

Article - 2 : Executive (कार्यपालिका) - POTUS → US President

Article - 3 : Judiciary (न्यायपालिका)→ Federal Court(संघीय न्यायालय)

L E J

❖ **नियंत्रण व सन्तुलन का सिद्धांत** (Doctrine of Checks and Balance) :

एक अंग, अन्य अंगो पर नियन्त्रण रखता है। एवं एक–दूसरे अंगो के बीच सन्तुलन स्थापित करता है।

1. विधायिका (Legislature) → Law → न्यायपालिका में चुनोती दिया जा सकता है।
   - संविधान उल्लंघन के आधार पर
   - विधायिका का कार्य नहीं करती

2. विधायिका (Executive) Rules — Judiciary / Legislature → महाभियोग

↓ (Potus)

महाभियोग ↓ राजद्रोह (Treason)

Case : महाभियोग
Potus - Chlirston, Donald Traump

कार्यकाल – 4 वर्ष
1 व्यक्ति – 2 बार

Donald Traump - Republic Party
Jeo Baidon - Democrafts Party

महाभियोग की प्रक्रिया राजद्रोह के आधार पर लाया जाता है।

Hor (Lower House) →Resolution

Sonate → Potus निर्णय को सिद्ध

Donald Traump→ Jeo Biden के पुत्र के ऊपर आरोप लगाते है कि उनका युक्रेन में व्यवसाय भ्रष्टाचार युक्त है।

❖ न्यायपालिका → Checked by: राष्ट्रपति

कार्यपालिका → नियुक्ति, पदमुक्ति

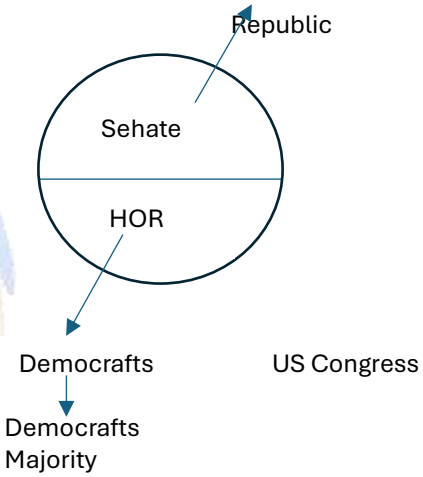

विधायिका → पारित प्रस्ताव के पश्चात् → राष्ट्रपति

पदमुक्ति ↓ राष्ट्रपति

प्रश्न : क्या आप मानते है कि अमेरिका की तुलना में भारत की संवैधानिक व्यवस्था में जटिल शक्ति का प्रथक्करण सिद्धांत नहीं अपनाया गया है, विश्लेषण करें। (OR)

भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में शक्ति प्रथक्करण सिद्धांत की व्याख्या करें।

सरकार के अंग

विधायिका | कार्यपालिका | न्यायपालिका

USA : ◯ ◯ ◯ = शक्ति का प्रथककरण जटिल पूर्णतः अलग

L E J

Bratin

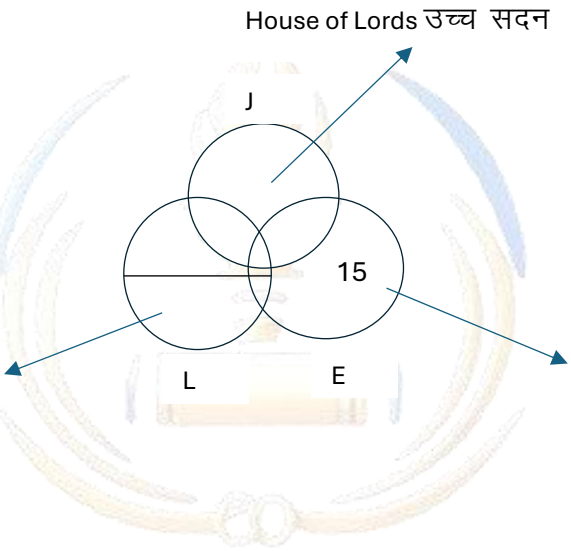

SOP
सदस्य – X
निर्णयों – प्रभावित भूमिका

India

न्यायपालिका – स्वंतत्र न्यायपालिका : कॉलेजियम व्यवस्था

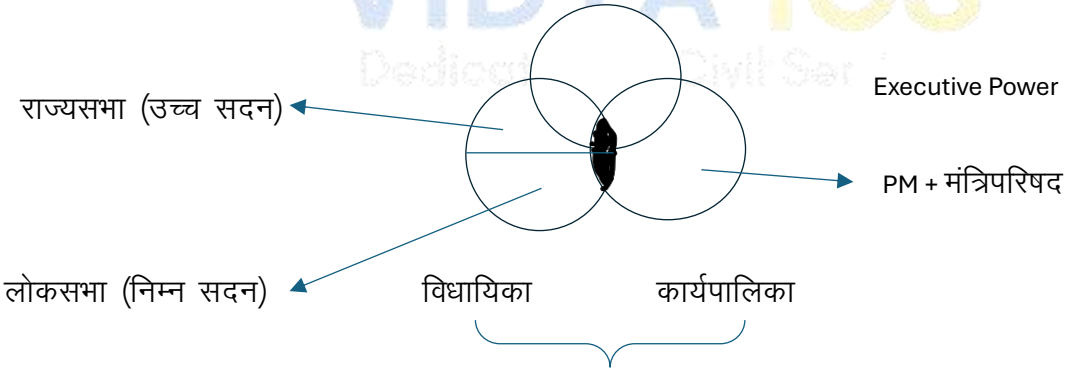

भारत में शक्ति प्रथककरण का सिद्धांत

❖ विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच

संसदीय प्रणाली

विधायिक से आते है।

केन्द्र : (M.P.) सांसद → कार्यपालिका के सदस्य भी है।

राज्य : (MLA) विधायक → मंत्री

मंत्री

लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। ← → विश्वास मत

❖ राज्य के नीति निद्रेशक तत्व

अनु. 50 : कार्यपालिका को न्यायपालिका से प्रथक करने की अनुशंसा करता है।

वॉरेन हैस्टिंग – 1972 : District Callector

कार्यपालिका शक्ति
↓
जिले में कानून व्यवस्था बनाये रखना

न्यायपालिका शक्ति
↓
न्याय व्यवस्था बनाये रखना

- यह व्यवस्था 1973 तक चलती रही।
- सरकारी आदेश–नये पद का सृजन
- District Magistrate व्यवस्था

❖ शक्ति प्रथककरण सिद्धांत की संवैधानिक स्थिति :

Art 50 : यह Article राज्य को यह दामित्व देता है। कि वह न्यामपलिका की कार्यपालिका से **प्रथक** करे। हालाकि नीति निर्देशक तत्व का हिस्सा होने **कारण** इस न्यामपालिका द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है।

Art 123 : राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होने के कारण उसमे विधायी शक्ति भी निहित है। क्योंकि कुछ निश्चित परिस्थितियों में वह अध्यादेश जारी करती है।

Art 121 : सवर्वोच्च न्यायालय के व्यवहार व निर्णयों को संसद में विमर्श नहीं कर सकते है।

Art 211 : उच्च न्यायालय के निर्णमी व भवहारों को राज्य विधान मण्डल में विमर्शित नहीं किया जा सकता है।

Note : सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायधीय के महाभियोग मात्र के लिये राज्य विधान मडल में विचार-विमर्श किया जा सकता है।

Art 361 : राष्ट्रपति व राज्यपाल को न्यायहीन कार्यवाही से प्रतिरक्षा।

❖ भारत पर नियंत्रण व सन्तुलन का सिद्धांत :

❖ न्यायपालिका → विधायिका :

Case : **रंजन गोगई**

मावरी देवी (पति के सामने रेप, चाचा व भतीजे द्वारा)

- NGO
- महिला हितों के लिये लड़ना
- बाल विवाह
- निम्न जाति

Vishaka Guidline :

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न पर रोक

Law → Judicial Aetius (न्यायिक सक्रियता)

Conclusion

1. L - E ⟶ जटिल शक्ति प्रथककरण – नहीं
2. L - J ⟶ जटिल शक्ति प्रथककरण – नहीं
3. E - J ⟶ जटिल शक्ति प्रथककरण – हां

ऐतिहासिक प्रष्ठभूमि

कम्पनी एक्ट (1773–1858)

1. रेग्युलैटिंग एक्ट 1773
2. एक्ट ऑफ सैहलमैण्ट 1781
3. पिट्स इंडिया एक्ट 1784
4. 1793
5. 1813
6. 1833
7. 1853

(4–7: चार्टर एक्ट (20 वर्षों में))

1857 की क्रांति

ताज का शासन (1858–1947)

1. 1858, भारत परिषद अधिनियम
   - → भारत सचिव (लंदन)
   - → भारत का शासन अपने हाथों में लिया
   - → ताज का शासन
2. 1861, भारत परिषद अधिनियम
   - → आओ, बैठो, पूछो, बताना
     न बताना हमारी मर्जी
3. 1892, भारत परिषद अधिनियम
   - → पूरक प्रश्न
4. 1900, मॉले–मिंटो सुधार
   - → बजट में प्रशन, सम्प्रदायिक चुनाव
5. 1919 मॉण्टेग्यु – चेम्सफोर्ड
   - → महिला को मत देने का अधिकार
6. 1935 भारत शासन अधिनियम
7. 1947 भारत स्वंतत्रता अधिनियम

चाख → 1918 खेड़ा सत्याग्रह

चाख → चम्पारण 1917

चाख → अहमादाबद 1918

संविधान निर्माण की प्रक्रिया

केन्द्रीकरण ← 1935 → विकेन्द्रीकरण

सवंधिान सभा ← 1948 → निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण हुई

वाद–विवाद / चर्चा / विश्लेषण पर आम सहमति

❖ संविधान सभी की मांग :

सर्वप्रथम संविधान सभी की मांग ← 1934 → M.N.Roy (साम्यवादी आन्दोलन के नेता)

↓

1938 t. Jawahar Lal Nehru Official - INC के मंच

↓

1934 Pt. Motilal Nehru - INC की ओर संविधान सभा की निर्माण की मांग

↓

अगस्त प्रस्ताव 1949 — लॉर्ड पैथिक लॉरेन्स, स्ट्रेफर्ड क्रिप्स, ए.वी. एलैक्जैण्डर

↓

क्रिप्स मिशन 1940

↓

कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 → 16 नंवम्बर 1946 को रिपोर्ट भारत के संविधान निर्माण योजना

↓

संविधान सभा (2 वर्ष 11 माह 18 दिन)

वयस्क मताधिकार
बाहरी शक्ति हस्तक्षेप
संविधान सभा, सम्प्रभु सरंक्षण

अगस्त प्रस्ताव → (लॉर्ड लिलियिगी)

अगस्त प्रस्ताव → मुस्लिमों के लिये उपयुक्त भारत–पाक

❖ **संरचना**

- 24 मार्च 1946 - Cabinet Mission
- Plan - 1. संविधान सभा – Seat 389
  2. जनसंख्या के आधार पर
  – 40 करोड़
  – 1 मिलियन / 10 लाख – Seat 1

389
- ब्रिटिश प्रान्त – 296 → 292
- देशी रियासत – 93 → 4 Chief Commissionary
  - दिल्ली
  - कूग
  - अजमेर भाखाड़
  - बलूचिस्तान

- ब्रिटिश प्रान्त – निर्वाचित (अप्रत्यक्ष)
  नामित+सीमित व्यस्क मताधिकार
- देशी रियासत के प्रतिनिधि (अमीर+) वहां के प्रमुख द्वारा नामित किये जायेंगे।
- ब्रिटिश प्रान्त – सीटों का बटंवारा
  मुस्लिम, सिक्ख, सामान्य – व – को छोड़कर अन्तय

❖ संविधान सभा क लिये चुनाव

- जुलाई–अगस्त 1946
- 296 सीट के लिये

296 सीट के लिये

208 INC | 73 ML | 150 Others

93 देशी रियाशतों – अपना भाग्य X

- संविधान सभा में कुल महिलाऐं – 15 (भारत – 12 , पाक – 3)
- पहली बैठक में महिलाऐं – 10
- एक मात्र महिला जो प्रारूप लेखन का हिस्सा – जी. दुर्गाबाई देशमुख (मद्रास)
- एक मात्र मुस्लिम महिला – बैगम अय्माज रसूल
- एक मात्र महिला जो देशी द्वारा नामित – एनी मर्फारीन (त्रावणकोर)
- कुल सदस्य – 207
- न्याय का सिद्धांत – रूस क्रांति

❖ **कार्यप्रणाली**

- 11 बैठकों

प्रथम बैठक

कुल सदस्य – 207
अध्ययक्ष – डॉ सच्चिनांनद सिन्हा (अस्थाई सदस्य)
फ्रांस की व्यवस्था के अनुसार
वृद्ध व्यक्ति

द्वितीय बैठक

डॉ राजेन्द्र प्रसाद (स्थाई सदस्य)
2 उपसभापति
25 जनवरी 1947 HC Mukargee
16 जुलाई 1947 V.T. Krishna

तृतीय बैठक

13 दिसम्बर 1946
पंडित जवाहर लाल नेहरू 'उद्देश्य प्रस्ताव' लाये।

❖ भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम

लॉर्ड माउण्ट बेटन योजना
3 जून 1947

14 अगस्त 1947 पाकिस्तान

1. संविधान सभा – संप्रभु संख्या
2. संविधान निर्माण – विधायी सदस्य (गणेस वासुदेव मावलंकर)
अध्यक्षता – डॉ राजेन्द्र प्रसाद

296 → 229
93 → 70
299

संविधानवाद

- सीमित सरकार /वैधानिक (Legitimate Govt.)
- उपकरण
  1. संविधान
  2. स्वंतत्र न्यायापालिका
  3. शक्ति प्रथककरण
  4. संम्प्रभु जनता
  5. मौलिक अधिकार
  6. विधि का शासन

VIDYA ICS
Dedicated To Civil Services

प्रस्तावना : संविधान का दर्शन

- संविधान का आमुख
- संविधान निर्माता के मस्तिष्क का विचार
- संविधान निम्न दर्शन

Preface (आमुख)
- About the Author
- About the Min of the Authurer

न्याय :

समता :

- Paragraph-I : हम भारत के लोग — एक साथ
  - S- Sovereign
  - S- Sialis — 42 CAA 1976
  - S- Secular
  - D- Democratic — Mature Duality
  - R- Republic

- Para-II
  - 4 Justice (न्याय) — S, E, P — पवित्र त्रयी → Aim Goals
  - Equality (समानता) - अवसर की समानता / प्रतिष्ठा
  - Fraternity (बन्धुता) - एकता व अखण्डता (Unity and Integrity)
  - Freedom

  संविधान निर्माताओं का दर्शन

- Para - III :
  - बनाने वाली संस्था – संविधान सभा
  - दिनांक 26 नवम्बर 1949

इंधिारा गांधी (PM) → समिति ने → प्रतिद्वन्दी वरिष्ट नेता = मौरारजी देसाई

गूमी गुड़िया
1967 India-Pakwar
→Become Urga
→Ig. Bangladesh

Emergency
- Most Popular
- Most Powerful

मनमाना / अवैधानिक → Committed Judiciary Ealing Party के अनुसार

चुनाव – जनता दण्ड PM उत्तर पूर्व में केवल 2 सीटें मिली।

समाजवाद (Sociolist)
समाजवादी (Socialism) — विचारधारा

कारण → प्रक्रिया

❖ कार्लमार्क्स

History 5 चरणों से गुजरा

परिकल्पना – संरचना एवं आधार परिकल्पना

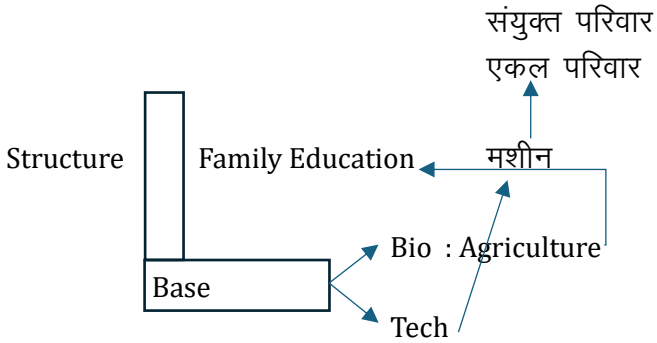

5 चरण :

1. **प्रागैतिहासिक**

चरण
- शिकारी
- एकत्रित करना → दिन प्रतिदिन के लिये →बराबर बंटवारा

- ➢ अधिशेष संकल्पना
- ➢ समानता मूलक समाज

2. **प्राचीन इतिहास**

- ➢ कृषि आधारित समाज
- ➢ अधिशेष
- ➢ 2 वर्ग
  - अमीर
  - गरीब

  संघर्ष

3. **सांमतवादी समाज**

- ➢ जमींदार
- ➢ भूदास

4. **पूंजीवाद समाज**
- वुजर्वा – पूंजी लगाई – फैक्टरी
- सर्वाहारी → मजदूर → उत्पादित वस्तुओं का उपयोग
  → अन्य कर्मचारियों से अंतःक्रिया

➢ कार्लमार्क्स और फैडरिस

विश्व के मजदूरों एक साथ आओ

➢ धर्म की अवधारणा को नष्ट करो।

5. **समाजवादी**

समाजवाद के उद्भव के लिये उत्तरदायी चरण, क्रान्ति की आवश्यकता (यूनी क्रांति)

Fabian Socialism

➢ विषमताओं को दूर – ऐसी संरचना की स्थापना करेंगें – समानता स्थापित करें।

State

➢ लोककल्याण
➢ पिछले वर्ग को आरक्षण
➢ निरन्तर → समाज → समानता मूलक राज्य बन जायेगा।
➢ राज्य की भूमिका समाप्त
➢ राज्य (समाप्त)

रामराज्य : राज्य सहित समाज = साम्यवाद

इंदिरा गांधी जी

42 वां संविधान संशोधन 1976 – इंधिरा गांधी → समाजवाद
↓
इंदिरा गांधी ने भारतीय समाजवाद
↓
गांधीवाद समाजवाद
↓
रामराज्य
↓
राज्य रहित (अपने सभी निर्णय व्यक्ति स्वंय लेगा)

न्यायसिता का सिद्धांत

बनाने वाला	चलाने वाला	लाभकारी
↓	↓	↓
जनता	सरकार	जनता
	↓	
	जनता	

Mihranian Socialism

व्यक्तिगत हित व सार्वजनिक/सामूहिक हित
↓
टकराव
↓
बीच में राज्य का आगमन
↓
सामूहिक हित को वरीयता

D.S. Nakara VS

सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि समाजवाद का लक्ष्य आम व स्तर में एवं आजीविका में असमानता को दूर करना है। अर्थात् भारतीय समाज वाद का अर्थ समाज के कमजोर वर्गों का लोग कल्याण है।

प्रश्न : भारतीय समाजवाद गांधीजी के न्यासिता के सिद्धांत पर आधारित है, वर्णन करो।

पंथनिरपेक्षता (Secularism)

- आधुनिक विचारधारा है।
- इसका प्रतिपादन 1831 में जार्ज जैकन होलियोक ने किया।

पंथनिरपेक्षता की चार विशेषताऐं :

1. राज्य को धार्मिक मामलो में तटस्था बनाई रखनी चाहिये।
2. सभी प्राकृतिक घटनाऐ वैज्ञानिक तर्क से परिभाषित होनी चाहिये
3. सभी कार्यों का तार्किक आधार होना चाहिये
4. राज्य को कोई भी औपचारिक धर्म नहीं होना चाहिये

भारतीय संधिधान ने पंथनिरपेक्षता को 42th CAA 1976 से जॉन इसके चन्तर्गत विभिन्न सवैधानिक प्रावधान आते हैं।

Art 14
Art 15
Art 16
Art 25
Art 27
Art 325 - Voter list में शामिल होने भेदभाव नही
Art 326 - चुनाव लड़ने में भेदभाव नहीं

भारत में पंथनिरपेक्षता के अन्तर्गत निम्म गुण आते है।

1. भारत का कोई भी औपचारिक धर्म नही होगा।
2. राज्य सभी धर्मो को सम्मान व आदर देगा।
3. सभी धर्मो का सरंक्षण करेगा (राज्य) ।

विशेषता

1. राष्ट्रपति : राजेन्द्र प्रसाद – सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन
2. PM-NAMO : अयोध्या राम मंदिर का उद्घाटन
3. राजनैतिक दल – धार्मिक आधार पर पार्टी बनाते है।

उदा.

All India Muslim - e- Nusileeneen
Hindu Sena
Shiv Sena
Akali Dal - Badal

❖ **लोकतान्त्रिक (Democratic)**

Democracy दो शब्द Demos + Cratic से मिलकर बना है।

जनता शासन अर्थात लोकतंत्र, जनता द्वारा जनता के लिये बनाया गया शासन है।

किसी भी राष्ट्र में लोकतंत्र दो प्रकार से हो सकता है। प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष लोकतंत्र

1. प्रत्यक्ष लोकतंत्र : यह ऐसी भवस्था है जहां जनता बिना प्रतिनिधि द्वारा अपने राष्ट्र ही नीतियों का निर्णय लेती है।
2. अप्रत्यक्ष लोकतंत्र : इस प्रकार की व्यवस्था मे जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है। जिसेक वहले प्रतिनिधि जनता के लिये नीतियों का निर्माण करता है।

❖ **गणतन्त्र**

गणतन्त्र का सम्वन्ध निर्वाचन से है। एक गणतान्त्रिक राज्य के लिये यह आवश्यक है कि राज्य का प्रमुख निर्वाचित होता चाहिम न कि वंशानुगत।

Note : यह निर्वाचन प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनों से सम्भव है।

❖ **न्याय**

- विशेषाधिकारो की अनुपस्थिति
- प्राकृतिक विचार । अधिकार
- भेदभाव को अनुपस्थिति
- समानता की स्थापना

} Equality

भारतीय संविधान की प्रस्तावना में तीन प्रकार के न्याय समाहित है।

① सामाजिक ② आर्थिक ③ राजनैतिक

इसे शाही त्रयी भी कहा जाता है। अर्थात् यह न्याय के 3 स्तम्भ है। यदि एक भी स्तम्भ अपने स्तर के न्याय स्थापित करने में विफल होता है तो संविधान का न्याय का उद्देश्य भी विफल होगा।

1. **सामाजिक न्याय**
   - समाज में अंसतुलन को दूर करना विधि द्वारा।
   - वर्गों के बीच अपने दावों को कम करना।
   - टकराव की स्थिति समाप्त करना।

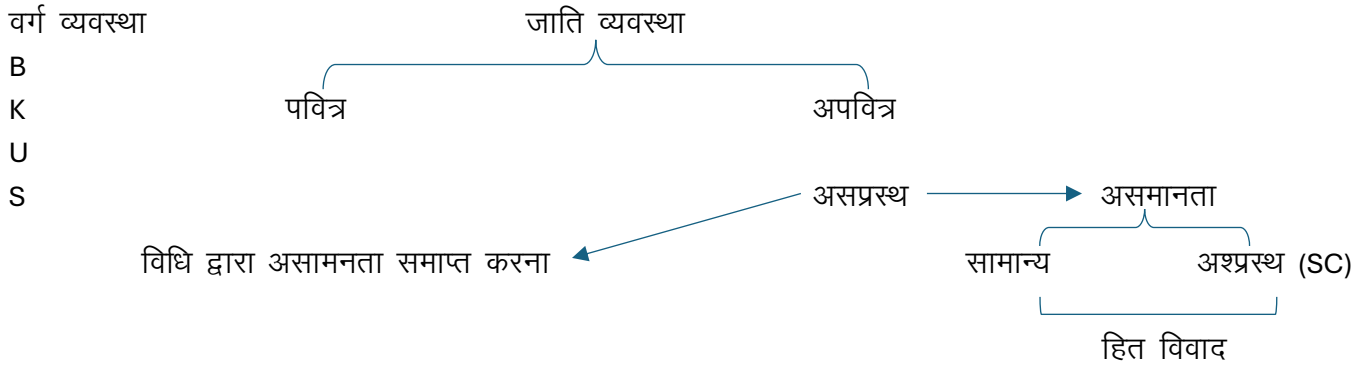

History
- M.K.Gandhi — वर्ण व्यवस्था
- B.R.Ambedkar — जाति व्यवस्था विरोधी → आरक्षण
  - विधि द्वारा
  - न्याय स्थापित

Bivary (O.I)
- शून्य — Weak Section
  - SC | OBC
  - ST | Woman
  - Child
- All — सभी लाभ प्राप्त करता है। → विकसित वर्ग

2. **राजनैतिक न्याय** :

राजनैतिक मण्डल में पुरूष व पुरूष के बीच मनमानी विभेदता की अनुपस्थिति अर्थात् राजनैतिक स्तर पर किसी भी मानव के साथ विभेद नहीं किया जायेगा।

- **व्यस्क मताधिकार** → 26 नंवम्बर 1919 के बाद
  महिलाओं को मत/वोट देने का अधिकार दिया।
  विभिन्न देशों ने भारत को असफल प्रजातंत्र बन जायेगा, ये कहा।

Case : Lily Thomas VS VOI, 2013
↓
RPA 1956
धारा – **8(4)** → 3 months Windour SC/HC
→ Election

- Legislator (MP/MLA)
  अपराध : 2 वर्ष
  चुनाव लड़ सकता है।
- सामान्य अपराध = 2 साल
  2
  चुनाव नहीं लड़ सकता

विभेद (Man and Man) → राजनैतिक न्याय ?
SC
RPA - 8(4)

3. **आर्थिक न्याय** (Equality of Status):

- जीवन स्तर की समानता स्थापित करने का विचार, आर्थिक न्याय है।
- लोगों का जीवन → जीने योग्य

(Capitalist)
मांग एवं आपूर्ति सिद्धांत

Economics Activities
राज्य द्वारा नियंत्रित
- कौन सी वस्तु का भाग
- कितना उत्पाद

1951 LPG Reform
Capitalist + State → लोककल्याण
- राज्य का हस्तक्षेप कम करना
- कारखानों को स्वीकृत
- प्राप्त राजस्व से लोककल्याण→
- न्यूनतम जीवन स्तर → राज्य

❖ समता : प्रतिष्ठा व अवसर की समानता

→ न्याय

1. Civic Art (14-18) (नागरिक समानता)

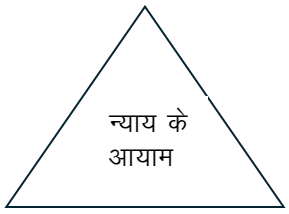

3. आर्थिक
Internation Labour Organisation (ILO)
↓
न्यूनतम मजदूरी अधिनियम
Nodel Officer
↓
District Collector

2. राजनैतिक
Art. 325
Art.326

DPSP
(Art. 39)
↓
न्यूनतम मजदूरी प्राप्त करने की समानता

❖ स्वतंत्रता

प्रश्न – सकारात्मक व नकारात्मक स्वतंत्रता की व्याख्या करें, जो संविधान में वर्णित है।

स्वतंत्रता (2 प्रकार)

→ प्रतिवंध स्वतंत्रता
→ सीमित

→ प्रतिवंधन न हो
→ असीमित

Debate

संकल्पना

सकारात्मक
(+Ve Libarty)

नकारात्मक
(-Ve Liberty)

किस प्रकार की स्वतंत्रता की सीमित या प्रतिबंध किया जाये या इसे मुक्त रखा जाये।
↓
विवाद
+Ve -Ve

नकारात्मक स्वतंत्रता :

राज्य के लिये नकारात्मक स्वतंत्रता

1) जवरन दवाव से स्वतंत्रता।
2) व्यक्तिगत चयन/कार्यों में हस्तक्षेप की स्वतंत्रता।
3) राज्य की मनमानी कार्यवाही में स्वतंत्रता।
4) व्यक्ति अधिकारों व स्वतंत्रता पर प्रतिबंध से स्वतंत्रता।
5) बाहरी नियन्त्रण व प्रभुत्व से स्वतंत्रता।
6) भेदभाव व अन्याय से स्वतंत्रता।

राज्य का हस्तक्षेप नहीं हो सकता।

Note : (-Ve Liberty) असीमित स्वतंत्रता या गैर प्रतिबंधित स्वतंत्रता।

संविधान

1. Fose Freedom of Speech Expression
   वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
2. Right to Privacy
   नियता का अधिकार
3. SC ने मैनका गांधी केस में अनु. 21
   (प्राण व दैयिक स्वतंत्रता को मूल स्वतंत्रता माना)

} राज्य इन अधिकारों को समीमित नही कर सकता।

सकारात्मक स्वतंत्रता : **"Freedom to" की स्वतंत्रता**

राज्य का दायित्व व लक्ष्य होता है।
यक्ति को योग्यता को सन्दर्भित करता है।
इसके अन्तर्गत निम्न स्वतंत्रताऐं आती है।

1. स्वायत्रता एवं आत्मनिश्चिय की स्वतंत्रता।
2. लक्ष्य प्राप्त करने की स्वतंत्रता
3. भक्तिगत विचारों व सरंचनात्मकता की स्वतंत्रता।
4. संसाधन व सम्पत्ति एकत्रण करने की स्वतंत्रता।
5. नागरिक व राजनैतिक अधिकरों का प्रयोग करने की स्वतंत्रता।
6. स्वंय की क्षमता का विकास करने की स्वतंत्रता।

उदा. संविधान में 'राज्य के नीति निर्देशक तत्व' ।
राज्य द्वारा कमजोर वर्गों को छूट/आरक्षण।

Move (+Ve) liberty ↑ ↑
विकास का राज्य ↑ ↑
K.C. Where

प्रश्न – संविधान में वे कौन सी व्यवस्थाऐं है, जो बन्धुता का बढ़ावा देती है।

❖ संविधान की प्रस्तावना की वैधानिक स्थिति (**Legal status of preamble)**

- संविधान की प्रस्तावना की वैधानिक स्थिति का अर्थ यह है कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है या नहीं एवं प्रस्तावना में वैधानिक संसोधन सम्भव नहीं है या है।
- **<u>बेरू वाडी केश 1960</u>** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। एवं इसमें संमोधन किया जा साकता है। क्योंकि प्रस्तावना संविधान को तथ्यात्मक या मूल शक्ति प्रदान नहीं करती।
- **<u>केशवा नन्द भारती केका 1979</u>** : में माननीय नवर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न हिस्सा है एवं इसमें संसोधन किया जा सकता है। परन्तु समोधन करते समय संविधान की मूल भावना सुनिश्चित की जा सके एवं इसका उल्लगन न हो।

उसी कारण संविधान की प्रस्तावना का उपयोग संविधान के निश्चित प्रावधानो को समझने में किया जाता एवं विधायिका द्वारा बनाये गये कानूनों की जांच हेतु भी किया जाता है।

Note : नानी पालकी वाला ने प्रस्तावना है। संविधान का पहचान पत्र कहा है।
↳ कभी–कभी न्यायपालिका अपने न्यायिक व्याख्या के लिये भी प्रस्तावना का सहारा लेती है।